बिल का सारांश

भारतीय वन (संशोधन) बिल, 2017

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन ने 18 दिसंबर, 2017 को लोकसभा में भारतीय वन (संशोधन) बिल, 2017 पेश किया। यह बिल भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 का स्थान लेता है और भारतीय वन एक्ट, 1927 में संशोधन करता है। एक्ट वनों, वन उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने-ले जाने और उन पर वसूली जाने वाली ड्यूटी से जुड़े कानूनों को कन्सॉलिडेट करता है।
- एक्ट के अंतर्गत वृक्ष की परिभाषा में ताड़, बांस, ठूंठ, झाड़-झंखाड़ और बेंत शामिल हैं। बिल बांस शब्द को हटाने के लिए वृक्ष की परिभाषा में संशोधन करता है।
- चूंकि एक्ट के अंतर्गत वृक्ष की परिभाषा में बांस भी शामिल है, इसलिए इसे एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। संशोधन के परिणामस्वरूप गैर वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काटने और आर्थिक उपयोग के लिए उसके परिवहन हेतु अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

रूपल सुहाग
roopal@prsindia.org

18 दिसंबर, 2017